फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

नवली बनाम मूलाराम वगैरह

किस्म अपील 225 आर.टी.एक्ट. राजस्व अपील संख्या......97......सन.......2025.........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.09.2025	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2025 बअनवान मूलाराम बनाम वागाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.07.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पारसमल बराडा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अंतरिम आदेश हेतु दिनांक 17.09.2025 को पेश हों।	
17.09.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट द्वारा वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना प्रस्तुत किया, जो जैरकार है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2025 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोंडेंट द्वारा आदेश 39 नियम 3 की पालना का अभाव पाया गया। उसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई संज्ञान नहीं लिया गया तथा बिना किसी स्पीकिंग आदेश के पत्रावली आगामी दिनांक 11.11.2025 को नियत कर दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा। अतः अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक अपीलाधीन आदेश की पालना, प्रभाव व क्रियान्वयन स्थगित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा। अतः सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2025 बअनवान मूलाराम बनाम वागाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.07.2025 की आगामी तारीख पेशी तक पालना, प्रभाव व क्रियान्वयन स्थगित की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय व संबंधित तहसीलदार को पालनार्थ तहरीर जारी हों। अधिवक्ता अपीलांट रेस्पोंडेंट की तलबी हेतु पंजीकृत ए.डी. डाक/दस्ती सम्मन–तलबाना पेश करें। पत्रावली आयंदा दिनांक 17.11.2025 को पेश हों।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर